बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०–निग/सारा (एन०एच०) आरोप–23/2020 4859(5) पटना, दिनांक 17/7/26

श्री देवकान्त कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में (Job No.-101-BR-2016-17-1547) कराये गये PR कार्य में बिटुमिन की जाँच कराये बगैर ही कार्य में उपयोग की अनुमति देने एवं कार्य से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय विपत्र पारित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने संबंधी बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5512 (एस) अनु० दिनांक 16.11.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र के तहत् कुल 03 (तीन) आरोप निम्नवत् गठित किये गये हैं:–

(i) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–532 अनु०, सहपठित ज्ञापांक–532 दिनांक–23.02.2017 की कंडिका–10 में अंकित है कि कार्य से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति/कार्य की गुणवत्ता से संबंधित जाँच में किसी तरह के त्रुटि/त्रुटियों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता दोषी होगें।

विभागीय निदेश के बावजूद सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के रूप में श्री कुमार द्वारा संवेदक के समर्पित पेपर की जाँच किये बगैर संवेदक के प्रथम एवं द्वितीय विपत्र को पारित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।

(ii) कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक–896 दिनांक–04.12.2017 एवं पत्रांक–812 दिनांक–28.11.2019 के परिप्रेक्ष्य में बिटुमिन चालानों का सत्यापन कराये जाने के क्रम में IOCL, Patna के पत्रांक–शून्य, दिनांक–08.12.2017 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक–29.11.2019 द्वारा बिटुमिन उठाव के संबंध में संवेदक के 31 चालानों में से सिर्फ 10 चालानों को ही सही पाया गया एवं शेष 21 चालानों को फर्जी पाया गया। इससे स्पष्ट है कि बिना बिटुमिन Procurement की जाँच कराये फर्जी चालानों पर किये गये बिटुमिन उठाव को कार्य में लाया गया।

(iii) Procured Bitumen की प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर I.S.-73 के अनुसार जाँच से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बिटुमिन को व्यवहार में लाने का निर्देश है, जिसका अनुपालन श्री कुमार के द्वारा नहीं किया गया तथा Bituminous कार्य कराया गया।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1221 अनु० दिनांक–28.05.2022 द्वारा उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत् निष्कर्ष के रूप में श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र–'क' के तहत् गठित कुल 03 (तीन) आरोपों में से आरोप संख्या–(i) एवं (iii) को आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या–(ii) को पूर्ण रूप से प्रमाणित होने का निष्कर्ष गठित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–6268 (एस) अनु० दिनांक–22.12.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री कुमार के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–27.01.2023 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा के उपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इसे अस्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–6271 सहपठित ज्ञापांक–6272 (एस), दिनांक–17.10.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया गया:–

(i) "दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

4. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्व श्री कुमार द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–30.10.2023 एवं पत्रांक–शून्य, दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–5018 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–5019 (एस) दिनांक 15.10.2024 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

5. श्री कुमार के द्वारा पुनः पत्रांक–शून्य, दिनांक 08.04.2026 एवं पत्रांक–468, दिनांक 01.04.2026 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के द्वारा उल्लेख किया गया है कि आलोच्य मामले में समरूप आरोप के लिए तत्कालीन कनीय अभियंता, श्री वीरेन्द्र पासवान एवं उनके विरूद्व प्रमाणित आरोप के लिए समान दण्ड **''02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक''** का दण्ड अधिरोपित किया गया था। बिटुमीन चालान का सत्यापन कराने में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की कोई भूमिका नहीं है। चालान सत्यापन की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होती है। श्री पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्व संसूचित दण्डादेश पर उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभाग में उनके दण्डादेश को पुनरीक्षित कर **''निन्दन''** का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

6. उल्लेखनीय है कि आलोच्य मामले में ही श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही संचालित कर कार्यालय आदेश संख्या–222–सहपठित ज्ञापांक–7223 (ई०) दिनांक 21.11.2023 के द्वारा **02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर अंसचयात्मक प्रभाव से रोक** का दण्ड संसूचित किया गया। उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्व श्री पासवान द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर समीक्षोपरांत निर्णय लेते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–2283 (एस) दिनांक 19.03.2026 द्वारा दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए **''निन्दन''** का दण्ड दिया गया। श्री पासवान के दण्ड को पुनरीक्षित करने का मुख्य आधार निम्नवत है :–

''विभागीय पत्रांक–8320 (एस) अनु० दिनांक–21.07.2011 के अनुसार संवेदक के दस्तावेजी प्रमाण–पत्र (इनवायस इत्यादि) की शुद्धता की जाँच कराने का दायित्व संबंधित कार्यपालक अभियंता की होती है। इस मामले में संबंधित सहायक अभियंता के द्वारा बिटुमेन चालान/पेपर की जाँच कराने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुरोध भी किया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रारम्भ में विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणों से कार्यहित में संवेदक के बिटुमेन चालान का सत्यापन नहीं कराया जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक के बिटुमेन चालान का सत्यापन नहीं कराने के लिए सीधे तौर पर संबंधित कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार हैं। इस मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्व भी कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपित की गयी है। चूँकि इस मामले में श्री पासवान के द्वारा मापीपुस्त/विपत्र तैयार करने के कारण संवेदक को आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, इसलिए बिटुमेन चालान के सत्यापन कराये बगैर संवेदक को भुगतान हो जाने के लिए आंशिक रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं। ऐसी स्थिति में श्री पासवान के विरूद्व ''दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक'' के संसूचित दंड को प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक नहीं माना जा सकता है। उक्त समीक्षा के आलोक में श्री पासवान के दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए **''निन्दन''** का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में चूंकि प्रस्तुत मामले में कनीय अभियंता के दंड को पुनरीक्षित करते हुए ''निन्दन'' का दंड अधिरोपित किया गया है, फलतः आरोप एवं दंड की एकरूपता के मद्देनजर रखते हुए श्री देवकान्त कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के विरूद्व संसूचित दण्डादेश (विभागीय अधिसूचना

संख्या–6271 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–6272 (एस) दिनांक 17.10.2023) के तहत **"दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** के दंड को पुनरीक्षित करते हुए प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 (i) के तहत श्री कुमार के विरूद्ध **आरोप वर्ष 2017–18** के लिए **"निन्दन"** का दंड अधिरोपित किया जाता है।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–23/2020 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि०वै०दा०नि०को०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–23/2020 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–23/2020 **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0)/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14 एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री देवकान्त कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेखपुरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–23/2020 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) आरोप–23/2020 4860 (S) पटना, दिनांक 17/7/26

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16.7.2026

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

16.07.26